राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील /टी.ए./1022/2005/बून्दी

बजरंगा पुत्र मोती, जाति माली निवासी ग्राम चितावा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी।

....**अपीलांट**

बनाम

1. बद्री बाई पुत्री पन्ना पत्नी सीताराम माली निवासी गुडली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी।
2. मु0 मोडी बाई पुत्री पन्ना पत्नी नत्थु लाल जाति माली निवासी सेदरी तहसील व जिला बून्दी।
3. रूकमणी बाई पुत्री पन्ना पत्नी धन्ना जाति माली निवासी ग्राम खलुन्दा तहसील व जिला बून्दी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केशोरायपाटन जिला बून्दी।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः—
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलांट
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्टस

निर्णय **दिनांक : 06—8—2019**

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 69/2000 में दिनांक 02.03. 2005 को पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बद्री बाई ने न्यायालय सहायक कलक्टर, केशोरायपाटन जिला बून्दी के एक प्रार्थना पत्र 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् ग्राम चितावा तहसील केशोरायपाटन में विस्थित भूमि खाता संख्या 86 की खसरा संख्या 143 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 187 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या

188 रकबा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 248 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 145 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 147 रकबा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 150 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 186 रकबा 17 बिस्वा, खसरा 148 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के संबंध में विवाद है। इस प्रकार ग्राम चितावा में खाता संख्या 87 की कृषि भूमि खसरा संख्या 208 रकबा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 429 रकबा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 490 रकबा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 491 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 709 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 1293 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 1311 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1388 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1344 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 9 कुल 35 बीघा 17 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया है जिसे सहायक कलेकटर, केशोरायपाटन ने अपने निर्णय दिनांक 27–6–2000 के द्वारा खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट बद्रीबाई ने अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के यहां पर प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.3.2005 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर ली तथा विचारण न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है इसका कोई खण्डन नहीं है। पन्ना की मृत्यु कब हुई यह तथ्य विचारणीय है। यदि पन्ना की मृत्यु 1956 से पहले हुई है तो उसकी पुत्रियों को वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे और पत्नी को भी सीमित अधिकार प्राप्त होगें। नन्दू द्वारा हमारे पक्ष में वसीयत निष्पादित कर पंजीकृत करा दी गई थी जो सिद्ध है। वादग्रस्त भूमि पर हमारा कब्जा पन्ना की मृत्यु के उपरान्त से ही चला आ रहा है। उक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने नियमो से परे अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

5– उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अभिकथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट बद्रीबाई मृतक पन्ना की पुत्री है। मृतक पन्ना की दो पुत्रियां रेस्पोन्डेंन्ट संख्या–2 व 3 मु. मोडीबाई व रूकमणीबाई भी है। मृतक पन्ना की मृत्यु दौराने वाद हो गयी थी। इस प्रकरण में यह तथ्य विचारणीय है कि पन्ना की मृत्यु कब हुई थी। पन्ना की मृत्यु के बाद सन् 1974 में नामान्तरकरण खोला गया था। इस प्रकार इन्तकाल संख्या–55 दिनांक 18–11–1956 को खोला गया था जिससे स्पष्ट होता है

कि पन्ना की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात हुई थी। अपीलान्ट बजरंगा के पक्ष में मृतक नन्दू द्वारा निष्पादित वसीयत मान्य नहीं है क्योंकि उक्त वसीयत दिनांक 30–7–1993 को पंजीकृत करवाई गई थी और वसीयत के गवाह बताते हैं कि नन्दू ने वसीयत पर बाद में दस्तखत किये थे। इस प्रकार गवाह भी वसीयत पर एक बार ही दस्तखत करना बताते हैं। अतः उक्त वसीयत सिद्ध नहीं मानी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6– बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण में विवादित भूमि प्रारंभिक तौर पर मोती के नाम दर्ज थी। मोती की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र पन्ना व बजरंगा को विरासत में 1/2–1/2 हिस्सा मिला। पन्ना की मृत्यु होने पर पन्ना का हिस्सा उसकी पत्नी श्रीमती नंदू के नाम आ गया और नन्दू ने अपना हिस्सा बजरंगा पिता मोती को जरिये पंजीकृत वसीयतनामा हस्तांतरित कर दिया। मु0 नन्दू की मृत्यु के पश्चात सम्पूर्ण भूमि बजरंगा पिता मोती के नाम दर्ज हो गई। पन्ना की तीन पुत्रियाँ **हैं** बद्री बाई, रूकमणी बाई व मोडी बाई। विवाद का बिन्दु यह है कि क्या तीनों पुत्रियों का उस विवादित भूमि में कोई हिस्सा है? यदि हाँ, तो कितना–कितना?

8– परीक्षण न्यायालय में दावा व जवाबदावा के आधार पर निम्न 6 तनकीया कायम की गई :–

(1) तनकी नम्बर–1 को सिद्ध करने का भार वादीनी पर था कि चरण संख्या–1 में दर्ज भूमि मृतक नन्दू के खातेदार दर्ज है। प्रतिवादी बजरंगा व नन्दू की सह–खातेदारी में हिस्सा निस्फ दर्ज है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी E.X. A3 संवत 2046–2049 के अनुसार वाद की चरण संख्या–1 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी बजरंगालाल पि. मोती खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार E.X. A2 के अनुसार वाद चरण संख्या–2 में दर्ज भूमि भी प्रतिवादी बजरंगा के नाम दर्ज है। अन्य सबूत वादिनी ने पेश किया जिसमें E.X. A4 नकल नामान्तरकरण के द्वारा विवादित आराजियात से मु. नन्दू बेवा पन्ना के बजाए वसीयत द्वारा प्रतिवादी बजरंगा का नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड के सम्पूर्ण विवादित भूमि पर प्रतिवादी, बजरंगा का नाम दर्ज

है। शहादत के अनुसार काबिज है। अतः वादिनी अपनी तनकी को सिद्ध नहीं कर सकी है। लिहाजा तनकी वादिनी के विरूद्ध तय की जाती है।

.....वादिनी

(2) तनकी नम्बर 2 को सिद्ध करने का भार भी वादिनी का था कि आया स्व. पन्ना द्वारा छोडी गयी 1/2 सम्पत्ति पर उसकी तनकीयों का अधिकार है। उपलब्ध रिकार्ड एवं शहादत के अनुसार पन्ना की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के पूर्व हुई है एवं वादिनी ने भी पन्ना की मृत्यु कब हुई, यह नहीं बताया जिससे सिद्ध हो सके की पन्ना की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद हुई हो। जहां तक कब्जे का प्रश्न है विवादित भूमि पर पन्ना की मृत्यु के बाद से प्रतिवादी बजरंगा वादी कब्जा रहा है। यह बात बयानों से सिद्ध है। सरवाई पर शीर्षक सिद्ध हो चुके अनुसार तनकीयों का कोई अधिकार नहीं बनता है। विधवा को भरण पोषण का अधिकार है। इस प्रकार से प्रतिवादी बजरंगा द्वारा पन्ना की बेवा का भरण पोषण किया गया। उसकी तीनों पुत्रियों का भरण पोषण एवं शादी–ब्याह करवाया। नन्दू का अंतिम क्रियाक्रम करवाया व पन्ना की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के पूर्व ही हो गई। तभी से प्रतिवादी बजरंगा विवादित भूमि पर काबिज होकर लगान जमा करवा रहा है एवं उसके हक में नन्दू ने वसीयतनामा भी पंजीबद्ध करवा दिया। इन सब तथ्यों को देखते हुये पन्ना द्वारा छोडी गयी 1/2 हिस्से में उसकी पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। लिहाजा यह तनकी भी वादिनी के विरूद्ध तय की जाती है।

.....वादिनी

(3) आया प्रतिवादी बजरंगा के मन में बदनियति आ जाने से वाद की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर नाजायज कब्जा कर वादिनी एवं प्रतिवादी मोडी और रूकमणी को बेदखल करना चाहता है व चरण संख्या 2 की कृषि भूमि को उपयोग व उपभोग से वंचित करना चाहता है। यह तनकी सिद्ध करने का भार भी वादीनी पर था जहां तक प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का प्रश्न है उन्होने कोई जवाब वाद में पेश नहीं किया उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादीनी का कथन है कि वह पन्ना की मृत्यु के दो वर्ष बाद में हुई तो क्या वादीनी पन्ना की पुत्री है यह भी विचारणीय हैं। पन्ना की बेवा ने जो जवाब दावा पेश किया उसके प्रतिवादी बजरंगा के कथन की पुष्टी की एवं पन्ना कि मृत्यु के बाद से अर्थात 33 वर्षो से विवादित भूमि पर

बजरंगा का कब्जा माना साक्ष्य जो प्रतिवादी ने पेश कि एवं स्वयं वादीनी के बयानो से भी यह पुष्टी नहीं होती की पन्ना की मृत्यु के बाद विवादित भूमि पर उसकी लड़कीयों का कब्जा रहा है। उक्त विवेचन के आधार पर जब वादिया की मॉ नन्दू ने जवाबदावा पेश कर बजरंगा के समर्थन में वसीयतनामा कर दिया। पन्ना की लड़कियों, एक बेवा का भरण पोषण बजरंगा ने किया व शादी करवाई जब पन्ना मरा तब वादीनी पैदा ही नहीं हुई थी तो पन्ना के मरने के बाद उसका विवादित भूमि पर किस प्रकार कब्जा रहा एवं कब प्रतिवादी बजरंगा ने उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया इस प्रकार यह तनकी भी वादीनी सिद्ध नहीं कर पाई। लिहाजा यह तनकी भी वादिनी के विरूद्ध तय की जाती है।

.....वादिनी

(4) आया वादीनी खातेदार नहीं होने से वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। यह तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का है। उसका कथन है कि सहखातेदार ही बंटवारे का वाद ला सकते है। इस प्रकरण में वादीनी खातेदार दर्ज नहीं है। अतः वह वाद नहीं ला सकती है। वादीनी ने इस बाबत यह बताया कि पन्ना की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद से होने पन्ना द्वारा छोडी गई भूमि के उसका अधिकार दे जबकि पन्ना की शेष दो लड़किया एवं बेवा इस बाबत कुछ भी नहीं कहती है। ना वादीनी ने पन्ना की मृत्यु का समय बताया है एवं यह भी सही है कि बंटवारा का वाद रिकार्डेड सहखातेदार ही ला सकता है। लिहाजा प्रतिवादी यह तनकी सिद्ध करने में सफल हुआ है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

.....प्रतिवादी

(5) आया वाद की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि को बजरंगा के पिता मोतीलाल से उनके भाई पन्ना को विरासत में मिली थी। इस कारण बजरंगा निरन्तर काबिज होकर चला आ रहा है। यह तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। रिकार्ड पर उपलब्ध जमाबंदी भू–प्रबंध विभाग सम्वत् 2022–2041 के अनुसार किता 9 रकबा 35 बीघा 17 बिस्वा भूमि पन्ना व बजरंगा पिता मोती माली के नाम से दर्ज है। साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी के बयानो में यह बात जाहिर आई की मोती के मरने के बाद बंटवारा भूमि पन्ना व बजरंगा के खाते में दर्ज हुई। मु0 नन्दू ने भी जो जवाबदावा पेश किया उसमें इस तथ्य की पुष्टि की है। मोती के मृत्यु के बाद संयुक्त हिन्दु परिवार

के मात्र दो co-parcener स्व0 पन्ना व बजरंगा थे। पन्ना की मृत्यु हो जाने से बजरंगा विवादित भूमि पर काबिज रहा जिसे पन्ना की बेवा नन्दू ने स्वीकार किया है एवं वादीनी भी स्वीकार करती है। वादीनी के गवाह श्रवण ने बयानो में जाहिर किया कि पन्ना व बजरंगा के शामिल में करीब 40 बीघा भूमि है। दोनो भाई साथ साथ खेती करते थे। मोती जब मरा तब पन्ना एवं बजरंगा साथ में रहते थे। विवादित जमीन रहन रखी हो तो मुझे याद नहीं। अण्दा निवासी चितावा को जानता हुॅ। पन्ना के मरने के बाद बजरंगा ने छुड़ाई थी। यही बात प्रतिवादी द्वारा रामकिशन, भंवरलाल, छीतर एवं पन्नालाल कहते हैं। दोनो भाईयों के बीच बंटवारा नहीं हुआ था एवं पन्ना के मरने के बाद से ही बजरंगा विवादित भूमि पर काबिज चला आ रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी बजरंगा यह तनकी सिद्ध करने में सफल रहा है। लिहाजा यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

.....प्रतिवादी

(6) आया प्रतिवादी बजरंगा कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बनाया है। यह तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादी बजरंगा पर था। प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजियात को वसीयतनामा के आधार पर प्रेतिवादी बजरंगा खातेदार दर्ज है। पन्ना की बेवा नन्दू ने अपने जवाबदावे में यह बात स्वीकार की है कि पन्ना की मृत्यु के बाद से विवादित भूमि पर बजरंगा काबिज रहा है व खेती कर रहा है। लगान जमा करवा रहा है। तनकी संख्या 3 में इसका विवेचन किया जा चुका है वादीनी की दोनो बहिनों मोडी एवं रूकमणी द्वारा कोई जवाबदावा पेश नहीं हुआ है। प्रतिवादी की समस्त साक्ष्य बयानो में पन्ना की मृत्यु के बाद बजरंगा का कब्जा होना काश्त करने की बात स्वीकार करते है। वादी की ओर से इसका कोई खण्डन भी पेश नहीं किया गया। लिहाजा यह तनकी भी प्रतिवादी बजरंगा के पक्ष में तय की जाती है। वादीनी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रही। अतः कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

.....प्रतिवादी

9— इन तनकियों का विवेचन करते हुये सहायक कलक्टर केशोरायपाटन जिला बूंदी ने अपने निर्णय दिनांक 27.06.2000 में तनकी नं. 2 को निर्णित करते हुये लिखा है कि ''उभय पक्ष के रिकार्ड व शहादत के अनुसार पन्ना की मृत्यु हिन्दु

उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पूर्व हुई है एवं वादिनी ने भी पन्ना की मृत्यु कब हुयी यह नहीं बताया जिससे सिद्ध हो सके कि पन्ना की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद हुई है।'' इस प्रकार विद्वान सहायक कलक्टर ने पन्ना की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पूर्व मानकर उसकी पुत्रियों का हक विवादित आराजी में नहीं माना तथा वादनी बद्री बाई का वाद खारिज कर दिया। वादिनी रेस्पो0 संख्या 1 बद्री बाई ने उक्त निर्णय के विरूद्ध एक अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा में प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 2.3.2005 में अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली व सहायक कलक्टर केशोरायपाटन का निर्णय दिनांक 27.06.2000 अपास्त कर दिया तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि परीक्षण न्यायालय उपर्युक्त बिन्दुओं को दृष्टि में रखकर तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार कर या इसका कारण स्पष्ट करते हुये कि उक्त दस्तावेज साक्ष्य में क्यों नहीं पढे जा सकते और यदि आवश्यक हो तो पक्षकारान की अतिरिक्त साक्ष्य लेकर पुनः सुनवाई उपरान्त तीन माह की अवधि में पुनः निर्णय पारित करें।

10— इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि विवादित भूमि पैतृक है। मृतक पन्ना की तीन पुत्रियाँ बद्री बाई, रूकमणी बाई व मोडी बाई **हैं।** इनकी माता नन्दू की मृत्यु हो चुकी है और उसने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व एक वसीयत पंजीकृत कराई थी और अपना समस्त हिस्सा अपने देवर और पुत्रियों के चाचा बजरंगा (अपीलान्ट) के नाम कर दिया। इस वसीयतनामा के आधार पर बजरंगा के नाम नामान्तरकरण खुल गया जिससे वह सम्पूर्ण भूमि का रिकार्डेड खातेदार बन गया। मूल प्रश्न यह है कि पन्ना की मृत्यु कब हुई। पत्रावली में इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है केवल मौखिक साक्ष्य हैं। प्रकरण में यह देखना है कि पन्ना की मृत्यु क्या हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के पूर्व हुई है? नन्दू ने जो वसीयत बजरंगा के नाम की थी उसका क्या असर होगा? यदि पन्ना की पुत्रियों का हिस्सा विवादित भूमि में बनता है तो क्या नन्दू को समस्त आराजियात की वसीयत करने का अधिकार था?

11— परीक्षण न्यायालय ने प्रथम बिन्दु पर सही ढंग से विवेचन नहीं किया है और यह मान लिया कि पन्ना की मृत्यु 1956 से पूर्व हो चुकी थी जबकि बजरंगा के बयान DW1 जो कि दिनांक 11.11.1998 को हुये थे उसमें उसने कथन किया है

कि उसकी उम्र 76 वर्ष की है। उसने बयानों में बताया है कि पन्ना को मरे 46 वर्ष हो गये। पन्ना के मरते समय ब्रदी बाई की आयु 12 महीने अर्थात 1 वर्ष की थी। बद्री बाई ने अपने बयान PW1 जो कि दिनांक 23.7.1997 को हुये थे और उस समय उसकी आयु 30 वर्ष की है। बजरंगा के बयान के आधार पर पन्ना की मृत्यु के समय बदरी बाई 1 वर्ष की थी। इस प्रकार पन्ना की मृत्यु (1997–29) 1968 में हुई है। पन्ना की मृत्यु के पश्चात जो नामांतरकरण खुला वह नामान्तरकरण संख्या 9 दिनांक 29.3.1974 था। इससे यह भी प्रकट होता है कि पन्ना की मृत्यु यदि 1956 से पूर्व हुई होती तो यह नामान्तरकण इतने वर्ष बाद नहीं खुलता अपितु पहले खुल जाता। अतः परीक्षण न्यायालय ने इस बिन्दु पर व्यापक ध्यान नहीं दिया और बिना किसी ठोस आधार के यह मान लिया कि पन्ना की मृत्यु सन 1956 से पूर्व हुई है। अतः इस संबंध में अभी और साक्ष्य (दस्तावेजी तथा मौखिक) लेने की आवश्यकता है जिससे यह साबित हो सके कि पन्ना की मृत्यु से पहले हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू हो चुका था या नहीं? यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने के बाद पन्ना की मृत्यु हुयी है तो इसका पन्ना के सभी वारिसान पर क्या असर होगा और नन्दू द्वारा की गई वसीयत किस हद तक लागू होगी। इन सब बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन की आवश्यकता है और यह कार्य परीक्षण न्यायालय ही बेहतर ढंग से कर सकता है। अतः न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 02.03.2005 विधिसम्मत व उचित है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा का निर्णय व आदेश दिनांक 02.03.2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य